# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

## (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

**पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन**
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136


No: 3270/SEIAA/2022
Date: 4/3/22

प्रति,

**श्री राजेश पाठक,**
निवासी वार्ड नं. 15, बैहर रोड, बालाघाट
जिला बालाघाट (म.प्र.)–481111

**विषयः– प्रकरण क्र. 8391/2021** परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 15, बैहर रोड, जिला बालाघाट (म.प्र.)–481111 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 132525 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.750 हेक्टेयर, खसरा 709 भाग, ग्राम – बुदबुदा, तहसील वाराणासी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

**SEAC की 546वी बैठक दिनांक 08.02.2022 की अनुशंसा उपरांत SEIAA समिति की 707वी बैठक दिनांक 23.02.2022 निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–**

*भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustanable Sand Mining Guideline 2016 & Enforecement and moitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायलय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश दिनांक 22.02.2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में प्रत्येक पॉच वर्ष में प्रदेश के समस्त जिलों की अपडेटेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज शाखा जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, तदोपरांत राज्य शासन/SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित है।*

उपरोक्त प्रक्रिया के परिपालन में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखित निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तावित खदान की वांछित सम्पूर्ण जानकारी, नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने एवं अनुमोदन होने तक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक, जिला कलेक्टर बालाघाट, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. खनिज निगम सहित सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist किया जाता है।

**(श्रीमन् शुक्ला)**
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3271 /SEIAA/2022 दिनांक – 4/3/22

**प्रतिलिपिः–**

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016।
4. कलेक्टर, जिला – बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला – बालाघाट (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल – 462016 ।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29–ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला – बालाघाट (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

**(आलोक नायक)**
प्रभारी अधिकारी